

राजस्व आदेश अनुवृत्ति- पत्र

रा.प्र.क. 202502092100007 अ/62 वर्ष 2024-25

2

3

23/04/2025

1. प्रकरण पेश।
2. प्रकरण का अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में वन विभाग एवं राजस्व विभाग का संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन में 15 नग सागौन वृक्ष काटे जाने की अनुशंसा की गई है कृषि भूमि के रकबा एवं प्रतिवेदन के आधार पर खसरा नंबर 10/1, 10/2 (कुल 03 नग सूखा सागौन वृक्ष) की कटाई हेतु अनुमति हस्ताक्षरित किया।
4. वृक्ष की कटाई एवं राशि अदायगी वन विभाग द्वारा होगी। वन विभाग एवं राजस्व अमले को सूचना हो।
5. अभिलेख अद्यतन उपरांत प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफतर हो।

अनुविभागीय अधिकारी
(रा.) डोंगरगढ़